भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3011

उत्तर देने की तारीख: 26.03.2025

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक विकास और सशक्तिकरण के लिए केंद्रीय सहायता

3011. श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश भर में अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के सामाजिक विकास और सशक्तिकरण के लिए केंद्रीय सहायता से वर्तमान में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक विकास और सशक्तिकरण के लिए इन योजनाओं के अंतर्गत वितरित और उपयोग की गई धनराशि का, अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) और जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) सहित, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों पर इन योजनाओं के प्रभाव का कोई आकलन किया है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी. एल. वर्मा)

(क) से (ग): सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय देश भर में में क्रमशः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक विकास एवं सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित कर रहे हैं। अनुसूचित जातियों के लिए विकास कार्य योजना योजना सहित पिछले पांच वर्षों के दौरान सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत जारी धनराशि का ब्यौरा **संलग्नक-I** में दिया गया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत जारी धनराशि का राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा, जिसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) भी शामिल है, **संलग्नक**-II में दिया गया है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग अपनी योजनाओं के प्रभाव का आकलन करने के लिए अन्य पक्ष से मूल्यांकन अध्ययन करवाता है। इसके अलावा, कुछ योजनाओं का मूल्यांकन नीति आयोग द्वारा अलग से किया जाता है।

दिनांक 26.03.2025 को राज्य सभा में उत्तर के लिए नियत श्री मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3011 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित संलग्नक

संलग्नक -I

पिछले पांच वर्षों अर्थात् 2019-20 से 2023-24 के दौरान सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत जारी धनराशि का विवरण

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	डीएपीएससी	श्रेष्ठ	अनुसूचित जातियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	अनुसूचित जातियों और अन्य के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	श्रेयस	अनुसूचित जातियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2.35	4.70	0.00	0.00	इस योजना में चार उप-योजनाएं हैं, अर्थात् अनुसूचित जातियों के लिए उच्च श्रेणी की शिक्षा (टीसीएस), अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों और पीएम केयर्स चिल्ड्रेन योजना के लाभार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग (एफसीएस), अनुसूचित जातियों आदि के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति योजना (एनओएस), अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप (एनएफएससी)	0.00
2	आंध्र प्रदेश	14720.95	1496.20	1609.32	164.50		24.24
3	अरुणाचल प्रदेश	293.18	0.00	0.00	0.00		0.00
4	असम	9030.80	454.92	41.10	0.00		0.00
5	बिहार	25465.53	581.14	106.66	160.87		0.00
6	चंडीगढ़	182.32	0.00	4.55	1.47		0.00
7	छत्तीसगढ	8577.81	480.75	151.96	19.29		5.60
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	25.44	0.00	0.20	0.01		0.00
9	दिल्ली	74428.30	736.10	25.61	12.85		0.00
10	गोवा	724.49	0.00	0.05	0.04		0.00
11	गुजरात	8771.58	163.65	877.39	153.24		10.00
12	हरियाणा	6435.42	497.10	252.16	3.68		1.54
13	हिमाचल प्रदेश	5594.01	127.49	51.36	15.52		32.10
14	जम्मू और कश्मीर	3202.79	0.00	10.14	4.07		0.00
15	झारखंड	7239.89	233.40	67.11	17.55		9.84
16	कर्नाटक	16947.67	2399.53	1202.76	267.02		34.88
17	केरल	6731.34	575.09	318.42	36.26		0.00
18	लद्दाख	3.61	0.00	0.00	0.00		0.00
19	लक्षद्वीप	0.73	0.00	0.00	0.00		0.00
20	मध्य प्रदेश	27706.08	1129.79	1029.53	129.27		2.52
21	महाराष्ट्र	36196.63	4378.11	980.43	0.00		144.67
22	मणिपुर	865.78	181.73	24.11	1.09		0.00
23	मेघालय	584.95	47.90	0.00	0.00		0.00
24	मिजोरम	252.96	0.00	0.00	0.00		0.00
25	नागालैंड	418.03	0.00	0.00	0.00		0.00
26	ओडिशा	15495.26	2102.42	815.37	103.32		0.00
27	पुडुचेरी	194.80	18.32	8.67	1.24		0.00
28	पंजाब	6649.08	68.50	955.49	134.38		13.86
29	राजस्थान	26316.34	3378.94	1082.73	136.46		4.87
30	सिक्किम	225.87	0.00	3.14	0.11		0.00
31	तमिलनाडु	25017.42	1100.96	2764.90	203.50		29.80
32	तेलंगाना	16155.17	259.66	245.03	2.21		30.00
33	त्रिपुरा	2717.26	2.00	145.64	6.96		0.00
34	उत्तर प्रदेश	71169.47	5027.52	3685.63	388.80		4.22
35	उत्तराखंड	4958.40	287.56	35.29	12.68		0.00
36	पश्चिम बंगाल	23656.52	344.76	366.27	170.31		8.00
37	अन्य	48253.21	0.00	0.00	0.00		0.00
	कुल	495211.43	26078.24	16861.05	2146.70	1368.04	356.14

संलग्नक-II

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2021-22 से 2023-24 के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत जारी धनराशि का विवरण

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक	अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप	अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति (उच्च श्रेणी)	अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति	अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी)
1	अंडमान और निकोबार	0.0803	0.1035				
2	आंध्र प्रदेश	96.3522	338.1903				
3	अरुणाचल प्रदेश	4.7474	299.7699				
4	असम	3.971	114.3887				
5	बिहार	0	0				
6	छत्तीसगढ	52.5	164.5535				
7	दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव	2.0662	4.0375				
	गोवा	00	17.1377				
8	गुजरात	153.4085	1055.9663				
9	हिमाचल प्रदेश	1.8902	0				
10	जम्मू और कश्मीर	0	14.2982				
11	झारखंड	95.9903	179.6554				
12	कर्नाटक	75.232	396.3656				
13	केरल	7.8353	72.0583				
14	लद्दाख	0.7422	47.0152	केंद्रीय क्षेत्र की योजना होने के कारण, राज्य-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं	केन्द्रीय क्षेत्र की योजना होने के कारण, राज्य-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं	केन्द्रीय क्षेत्र की योजना होने के कारण, राज्य-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं	राज्य-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं
15	मध्य प्रदेश	242.0203	865.7801				
16	महाराष्ट्र	0	852.7747				
17	मणिपुर	0	114.2969				
18	मेघालय	1.1548	257.5588				
19	मिजोरम	9.6436	89.6495				
20	नागालैंड	0	115.4418				
21	ओडिशा	146.3381	525.4038				
22	पुडुचेरी	0	0				
23	राजस्थान	97.6514	545.548				
24	सिक्किम	0.1784	19.6172				
25	तमिलनाडु	13.1335	97.0366				
26	तेलंगाना	1.5	426.0508				
27	त्रिपुरा	11.9531	157.111				
28	उत्तर प्रदेश	0.8817	10				
29	उत्तराखंड	0.15	37.5587				
30	पश्चिम बंगाल	39.0136	72.7788				
	कुल	**1058.4339**	**6890.1468**	**354.91**	**140.09**	**15.95**	**276959.11**
